

प्रमक.

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-11/एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/आयुष/औषधि/2016-17/ 6028 दिनांक-4/10/16

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये मिशन फ्लेक्सीपूल के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-B.16.2.8 पर मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अंतर्गत आयुष औषधि के क्रय, भण्डारण एवं वितरण हेतु धनराशि जनपदों को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्य योजना में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये मिशन फ्लेक्सीपूल के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-B.16.2.8 पर मेनस्ट्रीमिंग ऑफ आयुष के अंतर्गत आयुष औषधि के क्रय, भण्डारण एवं वितरण के लिये रु0 2019.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गयी है।

उक्त के क्रम में जनपदों के स्वास्थ्य इकाईयों पर वर्तमान में कार्यरत 1926 संविदा आयुष चिकित्सकों (योग विशेषज्ञों के अतिरिक्त) हेतु रु0 1.00 लाख/चिकित्सक/इकाई की दर से 50 प्रतिशत धनराशि रु0 963 लाख जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिकानुसार अवमुक्त की गयी है -

(धनराशि रु0 में)

S.N.	Districts	No. of Contractual AYUSH Doctor currently in position (Except YOGA specialist)	Drugs & supplies for AYUSH @ Rs.1.00 Lac/doctor/facility (Except YOGA specialist)
1	Agra	31	1550000
2	Aligarh	31	1550000
3	Allahabad	41	2050000
4	Ambedkarnagar	34	1700000
5	CSM Nagar (Amethi)	11	550000
6	Amroha	19	950000
7	Auraiya	16	800000
8	Azamgarh	47	2350000
9	Baghpat	13	650000
10	Bahraich	31	1550000
11	Ballia	51	2550000
12	Balrampur	18	900000
13	Banda	30	1500000
14	Barabanki	33	1650000
15	Bareilly	35	1750000
16	Basti	29	1450000
17	Bijnor	16	800000
18	Badaun	34	1700000
19	Bulandshahar	38	1900000
20	Chandauli	22	1100000
21	Chitrakoot	11	550000
22	Deoria	39	1950000
23	Etah	19	950000

24	Etawah	21	1050000
25	Faizabad	20	1000000
26	Farrukhabad	19	950000
27	Fatehpur	34	1700000
28	Firozabad	29	1450000
29	Gautambudh nagar	14	700000
30	Gaziabad	27	1350000
31	Gazipur	24	1200000
32	Gonda	33	1650000
33	Gorakhpur	53	2650000
34	Hamirpur	14	700000
35	Hapur	9	450000
36	Hardoi	41	2050000
37	Hathras	20	1000000
38	Jalaun	30	1500000
39	Jaunpur	19	950000
40	Jhansi	20	1000000
41	Kannauj	20	1000000
42	Ramabai Nagar	19	950000
43	KNP Nagar	32	1600000
44	Kasganj	18	900000
45	Kausambi	22	1100000
46	Kushinagar	15	750000
47	Lakhimpur	37	1850000
48	Lalitpur	10	500000
49	Lucknow	52	2600000
50	Maharajganj	29	1450000
51	Mahoba	16	800000
52	Mainpuri	34	1700000
53	Mathura	22	1100000
54	Mau	26	1300000
55	Meerut	28	1400000
56	Mirzapur	16	800000
57	Moradabad	25	1250000
58	Muzaffarnagar	32	1600000
59	Pilibhit	19	950000
60	Pratapgarh	36	1800000
61	Raebareli	38	1900000
62	Rampur	21	1050000
63	Saharanpur	31	1550000
64	Sambhal	11	550000
65	Sant kabir nagar	15	750000
66	Bhadoi	8	400000
67	Sahjahanpur	30	1500000
68	Shamli (Prabudh nagar)	9	450000
69	Shrawasti	17	850000

70	Siddharthnagar	14	700000
71	Sitapur	42	2100000
72	Sonebhadra	20	1000000
73	Sultanpur	27	1350000
74	Unnao	35	1750000
75	Varanasi	24	1200000
Total		1926	96300000

जनपदों को अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना है-

1. धनराशि का व्यय उपरोक्त फाट में दी गयी सीमा तक ही किया जाये जिसमें सभी वित्तीय एवं क्रय नियमों का अनुपालन अवश्य किया जायेगा।
2. आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जनपदों द्वारा अवशेष वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये आवश्यक आयुष औषधियों की आवश्यकता का आंकलन एवं निर्धारण किया जायेगा तथा तदनुसार क्रय जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता में निम्नवत् गठित समिति द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये किया जायेगा-
 - (i) मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य सचिव।
 - (ii) जिला होम्योपैथिक अधिकारी - सदस्य।
 - (iii) क्षेत्रीय आयुर्वेद/यूनानी चिकित्साधिकारी - सदस्य।
 - (iv) वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय, मुख्य चिकित्साधिकारी - सदस्य।
 - (v) जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0 - सदस्य।
3. आयुष औषधियां आवश्यकता अनुरूप भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग द्वारा प्रेषित संलग्न - सूची में दर्शाये संस्थानों से नियमानुसार क्रय की जायेंगी अथवा सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट (सी0जी0एच0एस0) द्वारा निर्धारित दर अनुबन्धों से नियमानुसार क्रय की जायेंगी। यह सुनिश्चित किया जाये कि औषधियां केवल निर्माता संस्थानों से ही क्रय की जाये।
4. न्यूनतम 60 प्रतिशत औषधियां शास्त्रीय योग (क्लासिकल फार्मूलेशन) तथा अधिकतम 40 प्रतिशत तक पेटेन्ट एवं प्रोप्रायट्री औषधियां क्रय की जायेंगी। शास्त्रीय औषधियां क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की Essential Drug List (EDL) for AYUSH के अनुरूप क्रय की जायेंगी जो एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध है।
5. औषधियां क्रय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रत्येक सम्बन्धित औषधि के प्रत्येक बैच का किसी अनुमोदित प्रयोगशाला या नेशनल एक्रिडेटेड बोर्ड ऑफ टेस्टिंग केलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एन0ए0बी0एल0) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। प्रयोगशाला रिपोर्ट की प्रति सुरक्षित रखी जायेगी।
6. जनपदों में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक औषधियों का क्रय चिकित्सा इकाईयों पर तैनात चिकित्सकों की विधानुसार किया जाये एवं क्रय की जाने वाली औषधियों की मात्रा आवश्यकतानुसार सुनिश्चित की जायें यानि कि अधिक उपयोग वाली औषधियां अधिक मात्रा में कम उपयोग आने वाली औषधियां कम मात्रा में क्रय की जायें।
7. आयुष औषधियों के क्रय हेतु उपलब्ध धनराशि से आयुष विधा की औषधियां पर्याप्त मात्रा में क्रय के पश्चात् अवशेष धनराशि से आयुष की जिस विधा की औषधि की अतिरिक्त आवश्यकता हो, का जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तवत् गठित क्रय समिति द्वारा दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये नियमानुसार किया जायेगा।
8. होम्योपैथ की दवा वितरण हेतु शीशियां इत्यादि आवश्यकतानुसार आर0के0एस0 अनटाईड फंड से नियमानुसार क्रय की जायेंगी।
9. क्रय की गयी औषधियों का भण्डारण जनपद स्तरीय सी0एम0एस0डी0 में किया जायेगा। जहां से औषधि भण्डारण नियमों का पालन करते हुए आवश्यकतानुसार जनपद के चिकित्सालयों में वितरण हेतु आवंटित करते

- समय औषधि प्राप्ति एवं वितरण दिनांक (एक्सपायरी दिनांक) का अंकन सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे जल्द एक्सपायर होने वाली औषधियों की प्रत्यक्षता के आधार पर समय से पूर्व वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
10. जनपद स्तरीय सी0एम0एस0डी0 में आयुष मद में क्रय की गयी औषधियों हेतु अलग स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें आपूर्ति की गयी औषधियों का सम्पूर्ण विवरण तथा उनका विभिन्न चिकित्सालयों में वितरण अंकित किया जायेगा। इसी प्रकार समस्त चिकित्सालयों में भी अलग से आयुष औषधियों का स्टॉक रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें प्राप्ति एवं वितरण अंकित किया जायेगा।
 11. चिकित्सालय स्तर पर औषधियों की प्राप्ति/वितरण का कार्य एवं अभिलेखों का रख-रखाव आयुष फार्मासिस्ट द्वारा किया जायेगा। आयुष फार्मासिस्ट की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त कार्य संविदा आयुष चिकित्सक द्वारा किसी अन्य कर्मिक के सहयोग से किया जायेगा।
 12. औषधियों की एक्सपायरी दिनांक पंजिका अलग से बनायी जायेगी तथा स्टोर कीपर द्वारा प्रतिमाह समीक्षा सुनिश्चित की जायेगी। एक्सपायरी दिनांक के अतिरिक्त भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन अथवा फंगस आदि का प्रकोप होने पर औषधि वितरण रोक कर सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श लिया जायेगा।
 13. शेल्फ लाइफ आपूर्ति के समय औषधि के अवसान (एक्सपायर) होने की निर्धारित अवधि की कम से कम 75 प्रतिशत अवश्य होनी चाहिये तथा निर्माण की तिथि 6 माह से अधिक पुरानी न हो।
 14. औषधियों के वितरण सम्बन्धित अभिलेख जैसे इन्डेंट बुक, इशु रजिस्टर, डेली एक्सट्रैक्ट रजिस्टर आदि का नियमानुसार रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा।
 15. आयुष औषधि के क्रय, भण्डारण एवं वितरण की त्रैमासिक समीक्षा उपर्युक्त समिति द्वारा की जायेगी तथा उसकी आख्या मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
 16. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित जनपद स्तर पर तैनात एक आयुष चिकित्सक एवं एक आयुष फार्मासिस्ट को अपने चिकित्सालय के नियमित कार्य के अतिरिक्त सी0एम0एस0डी0 स्टोर में मुख्य फार्मासिस्ट के सहयोग से आयुष औषधियों के रख-रखाव, भण्डारण तथा प्राप्ति एवं वितरण की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।
 17. आयुष औषधियों हेतु जनपदवार प्रेषित धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं क्रय की गयी औषधियों की मात्रा सहित सूची राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को दिनांक- 31 मार्च, 2017 तक अवश्य प्रेषित की जायेगी।
 18. धनराशि का आवंटन मात्र व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु आपरेशनल गाइडलाइन फ़ार फाईनेन्शियल मैनेजमेन्ट में की गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य प्रभावी संगत नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का समस्त स्तरों पर पालन सुनिश्चित करते हुए व्यय नियमानुसार, किया जायेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक।
तददिनांक।

पत्रांक- 11/एस0पी0एम0यू0/एन0आर0एच0एम0/आयुष/औषधि/2016-17/
प्रतिनिधि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 शासन।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. महाप्रबन्धक (एम0आई0एस0), एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति, आयुष ई0डी0एल0 की सूची तथा भारत सरकार आयुष विभाग द्वारा प्रेषित सूची में दर्शाये गये संस्थानों की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट- www.uprhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक।

140

Annexure

LIST OF CENTRAL GOVERNMENT/STATE GOVERNMENT
PHARMACIES/COOPERATIVES MANUFACTURING ASU & H
MEDICINES.

1. Indian Medicines Pharmaceutical Corporation Ltd, Govt. of India
Enterprise
2. Oushadhi- The Pharmaceutical Corporation (I.M.) Kerala Ltd. - State
Pharmacy
3. TAMPCOL, Tamil Nadu (Ayurveda/Siddha Medicine)-State
Pharmacy
4. IMCCPS, Government of Tamil Nadu (Siddha Medicines)
5. M.P. Minor Forest Products Cooperative Federation - Madhya
Pradesh- State Pharmacy
6. Cooperative Drug Factory, Chilyanaula, Ranikhet, Uttarakhand
7. Uttarakhand State Medicines and Pharmaceutical Ltd. -Subsidiary
of CDF
8. Kerala Government Pharmacy (Homoeopathic)

Sulind

